भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.54/2/2017-ईएमएस

दिनांक: 5 मार्च, 2018

सेवा में

1. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

2. प्रबंध निदेशक,
   मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड
   (कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम)
   न्यू बन्नीमन्टप एक्सटेंशन,
   मैसूर - 570015, कर्नाटक।

विषय: राज्य सभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचनों में मतपत्र में अधिमान चिह्नित करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए पैनों की आपूर्ति करना - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ राज्यों ने यह पूछा है कि क्या राज्य सभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचनों में मत पत्रों पर अधिमान चिह्नित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मैसूर पेन्ट्स एवं वार्निश लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा निर्मित वॉयलेट स्कैच पैनों का प्रापण उत्पादक फर्म से राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा या आयोग द्वारा आपूर्ति की जाएगी।

2. इस संबंध में, मुझे आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2016 के पत्र सं. 322/अनुदेश/2016/बीएण्डई के पैरा 6 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचनों में प्रयोग हेतु इन पैनों को केवल उपर्युक्त विनिर्माता से ही प्राप्त करना चाहिए। अत: मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे राज्य में राज्य सभा तथा विधान परिषद के निर्वाचनों में मतपत्रों पर अधिमान चिह्नित करने के प्रायोजनार्थ इन्टीग्रेटिड वॉयलेट कलर स्कैच पैन के प्रापण हेतु मैसर्स मैसूर पेन्ट्स एवं वार्निश लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक को प्रत्यक्ष रूप से आदेश दें।

3. मैसूर पेन्ट्स एवं वार्निश लिमिटेड, कर्नाटक से भी अनुरोध है कि जब कभी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र फर्म को इन्टीग्रेटिड वॉयलेट कलर स्कैच पैन की आपूर्ति का आदेश दें तो उन्हें आयोग के दिनांक 7 जून, 2017 के सम संख्यक पत्र (प्रति संलग्न) में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार आपूर्ति की जाए।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.54/2/2017/ईएमएस/485 दिनांक: 07 जून, 2017

सेवा में

प्रबंध निदेशक,
मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड,
न्यू बन्नीमन्टप एक्सटेंशन,
मैसूर - 570015
कर्नाटक।

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए विशेष रूप से संरचित पैनों की आपूर्ति करना - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 02.06.2017 के पत्र सं. एमपीवीएल/एमकेटीजी/2017-18/668 को संदर्भित करने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निम्नलिखित विनिर्देशनों/संशोधनों के साथ राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पैन के नमूने को अनुमोदित कर दिया है:-

1) पैन 'यूज एण्ड थ्रो' नॉन-रिफिलेबल प्रकृति का होगा।
2) प्रतीक चिह्न सहित भारत निर्वाचन आयोग का नाम मुद्रित होगा।
3) प्रत्येक पैन के लिए विशिष्ट क्रम संख्या होगी।
4) स्याही का रंग वॉयलेट है।
5) सामान्य रूप से निब का खोला जाना सम्भव है। इसे सील किया जाना चाहिए।
6) पैन का रंग ग्रे होगा और इस पर काले रंग से "भारत निर्वाचन आयोग" मुद्रित होगा।
7) पैन की कैप का रंग भी ग्रे होगा और इस पर "ईसीआई लोगो" मुद्रित होगा।
8) नमूने पर यथामुद्रित "(केवल मत पत्र पर अधिमान चिह्नित करने के लिए)" को हटाया जाना।
9) नमूने पर यथामुद्रित मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम) निर्मित को हटाया जाना।

मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के लिए उपर्युक्त विनिर्देशनों के साथ 1000 पैनों की आपूर्ति तत्काल और अधिकतम दिनांक 15.06.2017 तक कर दें। इसका इनवॉयस/बिल (तीन प्रतियों में) पैनों के साथ ही भेज दें।

भवदीय,

(अरविन्द आनंद)

सचिव